

C-1/11/11/2014  
9-4-2014

संख्या-वे0आ0-2-130/दस-62(एम)/2008

प्रेषक,  
अजय अग्रवाल,  
सचिव, वित्त,  
उ0प्र0, शासन।

सेवा में,

- (1) रामस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
- (2) रामस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक : 21 फरवरी, 2014

विषय- वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों पर राज्य कर्मचारियों के लिए लागू सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए0सी0पी0) की व्यवस्था के संशोधन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पर मुझे यह कठिन का निदेश हुआ है कि ए0सी0पी0 की व्यवस्था से सम्बन्धित शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-2104/दस-62(एम)/2008, टी0सी0, दिनांक 22 दिसम्बर, 2011 संपादित संख्या-वे0आ0-2-56/दस-62(एम)/2008, दिनांक 04 मई, 2010 के प्रस्ताव-1(2) i (ख) के परन्तुक के नीचे निम्नानुसार परन्तुक-2 का समावेश किये जाने की राज्यापाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

"परन्तुक-2

परन्तु यदि सम्बन्धित कर्मिक को प्रथम वित्तीय स्तर-प्रोन्नयन के उपरान्त समान ग्रेड वेतन में प्रोन्नति प्राप्त होती है तो उसे प्रथम वित्तीय स्तर-प्रोन्नयन प्राप्त होने की तिथि से 06 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर द्वितीय वित्तीय स्तर-प्रोन्नयन के रूप में अपना ग्रेड वेतन अनुगत होगा।"

2- उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 22 दिसम्बर, 2011 तथा 04 मई, 2010 इस सीमा तक संशोधित समाजा जायेगा।

भवदीय,

(अजय अग्रवाल)  
सचिव।

प्रतिलिपि संख्या-वे0आ-2-130 (1)/दस-62एम/2008, तददिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1. महालेखाकार लेखा एवं हकदारी-I एवं II तथा आडिट-I एवं II, उ0प्र0, इलाहाबाद।

Am (A/A)

me  
9/14

21/3/14  
50-9650  
29/4/14

2. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश।
3. प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
4. महानियन्त्रक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।

आज्ञा से,



(मनोज कुमार जोशी)  
विशेष सचिव।